न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 8 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 183

अनवान

1. पुनमकंवर पुत्री उदेदान पत्नि राजेन्द्रसिंह बड़वा निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर हाल निवास मकान नम्बर 52, दीयावत मोहल्ला, बाड़ बड़वा (सोनड़) तहसील रामगढ़ जिला दौसा

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द टेलर – प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16/3/2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नान्दशा, पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1346 रकबा 0.22 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 229 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 साथ पेश की है।
2. प्रार्थीया के पिता उदेदान पिता घीसादान के समय की होकर उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीया की बहन दुर्गाकंवर, पिस्ताकवंर व माता सोहनकंवर के नाम नामान्तरित हुई। गलती से प्रार्थीया का नाम पूनमकंवर पुत्री उदेदान बड़वा के बजाय लिपिकीय त्रुटि व सहवन से पूरण कंवर पुत्री उदेदान बड़वा दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम समस्त सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड इत्यादि दस्तावेजो में पूनम कंवर पुत्री उदेदान बड़वा व पत्नि राजेन्द्र सिंह बड़वा ही है। गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया उक्त भूमि पर न जो ऋण ले पाती हुँ, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ कर पाती हुँ, इसलिए प्रार्थीया का नाम पुरणकंवर पुत्री उदेदान बड़वा के बजाय पूनमकंवर पत्री उदेदान बड़वा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरस्त करवाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना की कलम संख्या 1 में वर्णित आरायिजात में प्रार्थीया का नाम पुरणकंवर पुत्री उदेदान बड़वा सा.देह के बजाय पूनमकंवर पुत्री उदेदान बड़वा सा.देह दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरस्त कराने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रार्थीया के पक्ष में फरमाया जावे।
3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 04.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

4. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट में अंकन किया कि :–

   1. ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा की जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 की खाता संख्या 12 पर आ.स. 100/11 रकबा 5 बीघा, आ.स. 368/12 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा भूमि श्री उदेदान पिता घासीदान बड़वा के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी।
   2. नामान्तकरण संख्या 1335 दिनांक 13.10.1995 विरसत से इस खाते में उदेदान के बजाय मु. दुर्गाकवंर, पिस्ताकवंर, पूरणकंवर पुत्री उदेयदान मु. सोहनकवंर बेवा उदेदान के नाम पर अमल दरामद हुआ था।
   3. भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी संख्या 368/12 रकबा 1 बीघा में मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी संख्या 1346 रकबा 0.22 है0 बनाए गए है।
   4. जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 की खाता संख्या 14 में विरासत का नामान्तरण संख्या 1355 दिनांक 13.10.1995 के उदेदान पिता घासीदान के बजाय दुर्गाकवर, पिस्ताकंवर, पूरणकवर पिता उदयदान मु. सोहनकंवर बेवा उदेदान दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थीया का नाम इस विरासत के नामान्तकरण से इस खाते में पूरणकंवर ही दर्ज हुआ है।
   5. प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 की खाता संख्या 14 में विरासत के नामान्तकरण से पूरणकंवर दर्ज हुआ उसके बाद जमाबन्दी संवत 2057 से 2076 की खाता संख्या 164 जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 की खाता संख्या 171, जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 की खाता संख्या 176, जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 की खाता संख्या 194, जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 217, जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की खाता संख्या 229 में भी पूरणकंवर ही दर्ज है अर्थात विरासत नामान्तकरण से अमल दरामद नाम ही आदिनांक दर्ज है जिसमें कही भी लिपिकीय भूल नही हुई है।

5. प्रार्थीया द्वारा अपनी प्रार्थना के समर्थन में ग्राम पंचायत सोनड़ पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकन किया है कि श्रीमती पूनमकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह उर्फ पूरणकंवर एक ही व्यक्ति है। इनको बोलचाल की भाषा में पुरणकंवर बोला जाता है जबकि दस्तावेज में नाम पूनमकंवर है।
6. प्रार्थीया द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकन कि मेरा नाम पूनमकंवर है तथा मै पूरणकंवर के नाम से भी जानी जाती हुँ इस कारण मेरे आधार कार्ड, जनआधार में मेरा नाम पूनमकंवर दर्ज है तथा मेरी ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि की जमाबन्दी में मेरा नाम पुरणकंवर दर्ज है। उपरोक्त दोनो नामों की व्यक्ति मै ही हुँ। मुझे आस–पास के लोग एवं रिश्तेदार वगैरहा भी उक्त दोनो नामों से जानते है एवं पुकारते है।
7. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विरासत का नामान्तकरण के दौरान प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि समस्त प्रकार के दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम पूनमकंवर के नाम से ही है। प्रार्थीया का नाम पूरणकंवर पुत्री उदेदान के बजाय पूनमकंवर पुत्री उदेदान किया जाना न्यायोचित है।
8. प्रार्थीया द्वारा अपनी प्रार्थना पत्र के समर्थन में खाता संख्या 229 में सहखातेदार पिस्ताकंवर पुत्री उदेदान बड़वा का शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें अंकन किया कि प्रार्थीया पूनमकंवर उसकी सगी बहिन है जिसका नाम राजस्व रेकार्ड मे पूनमकंवर की जगह पूरणकंवर अंकित कर दिया

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रार्थीया का नाम उसके सभी दस्तावेज में पूनमकंवर ही है। प्रार्थीया का नाम पूरणकंवर के बजाय पूनमकंवर करने पर उसे कोई आपत्ति नही है।

9. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया प्रार्थीया द्वारा पनी प्रार्थना के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थीया का नाम रेकार्ड व अन्य दस्तावेजो में पूनमकंवर है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में ग्राम नान्दशा के खाता संख्या 229 में पूरणकंवर पुत्री उदेदान के नाम दर्ज हो रखा है जिससे प्रार्थीया ऋण एवं सरकारी योजनाओ आदि का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है। प्रकरण में सहखातेदार पिस्ताकंवर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिन्हाने भी पूरणकंवर के बजाय पूनमकंवर राजस्व रेकार्ड में अंकित किए जाने पर कोई आपत्ति न होना बताया है। प्रार्थीया का नाम अन्य समस्त दस्तावेजो में दर्ज है उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज होना चाहिए। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::— आदेश —::

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का नान्दशा के ग्राम नान्दशा के राजस्व खाता संख्या 229 में अंकित पूरणकंवर पुत्री उदेदान बड़वा सा.देह खातेदार के बजाय पूनमकंवर पुत्री उदेदान बड़वा सा.देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 8 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 183

अनवान

1. पुनमकंवर पुत्री उदेदान पत्नि राजेन्द्रसिंह बड़वा निवासी नान्दशा (जागीर) तहसील रायपुर हाल निवास मकान नम्बर 52, दीयावत मोहल्ला, बाड़ बड़वा (सोनड़) तहसील रामगढ़ जिला दौसा

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

दिनांक 16/3/26

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का नान्दशा के ग्राम नान्दशा के राजस्व खाता संख्या 229 में अंकित पूरणकंवर पुत्री उदेदान बड़वा सा.देह खातेदार के बजाय पूनमकंवर पुत्री उदेदान बड़वा सा.देह खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 16/3/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा